

श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2016 को संपन्न अंतर्एजेसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

1. दिनांक 22.12.2015 को उच्चस्तरीय बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा के क्रम में "Urban Road Policy" बनाने का निर्णय लिया गया है।

इसका प्रारूप पॉलिसी मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, जो मुख्य महाप्रबंधक (बुडको) एवं पटना नगर निगम के अभियंता का इस कार्य में सहयोग लेंगे।

निर्देश दिया गया कि इस हेतु अन्य राज्यों की "Urban Road Policy" का अध्ययन किया जाय और उसके आधार पर बिहार राज्य के लिए पॉलिसी प्रारूप तैयार किया जाय।

2. दिनांक 19.02.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Patna Capital Region Management Committee (PCRMC) की बैठक निर्धारित की गयी है। बैठक में उपस्थित अन्य विभागों के प्रतिनिधि, पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर परिषद, दानापुर, खगौल तथा फुलवारी शरीफ के कार्यपालक पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वैसे सभी मुद्दे, जो इस समिति में रखना चाहते हैं, की सूची दिनांक 16.02.2016 तक अनिवार्य रूप से श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ताकि इन मुद्दों को बैठक के एजेंडा में शामिल करके निष्पादन कराया जा सके।

3. पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे :-

3.1 अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि शनिचरा में निर्माणाधीन आर०सी०सी० पुल का निरीक्षण करके, जो विषय परिलक्षित हो, उसका लिखित प्रतिवेदन पथ निर्माण विभाग को भेज दी जाय। निर्देश दिया गया बरसात से पहले इस पुल का निर्माण कराने का प्रयास किया जाय ताकि जलजमाव की समस्या नहीं हो।

3.2 अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग से अपेक्षा की गयी कि जिस प्रकार पटना उच्च न्यायालय से इनकम टैक्स चौराहा तक बेली रोड के दोनों किनारे फुटपाथ आदि संरचना बनाकर सौंदर्यीकरण किया गया है, उसी तरह का सौंदर्यीकरण सम्पूर्ण बेली रोड पर किया जाय। साथ ही साथ पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित पथ निर्माण विभाग के सभी पथों पर यथासंभव फुटपाथ का निर्माण, फलैंक का पक्कीकरण, आवश्यकतानुसार रोड डिवाइडर ग्रिल-आदि सभी व्यवस्था का प्रावधान किया जाय ताकि शहर सुन्दर बन सकें। फलैंक का पक्कीकरण होने से गंदगी पर नियंत्रण करना आसान होगा।

श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया गया कि दिनांक 19.02.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निर्धारित PCRMC की बैठक के एजेंडा में इस बिन्दु को शामिल करेंगे।

3.3 यह अपेक्षा की गयी कि पथ निर्माण विभाग, पटना शहरी क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी पथों के उक्तवत सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनाकर, बजटीय प्रावधान कराकर, अग्रेत्तर कार्रवाई करना चाहेगा।

3.4 आगामी बैठक में पथ निर्माण विभाग से पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी पथों की सूची लाने की अपेक्षा की गयी।

- 3.5 बेली रोड, पटना को आदर्श रूप से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जिसमें पथ के अलावा Cyclist Track, Pathway, Green belt, Parking spaces, Signage Grill, Drainage रहे।
- 3.6 आवश्यकतानुसार यदि राशि की व्यवस्था नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित हो तो इसके बारे में भी जानकारी चाही गयी।
- 3.7 पथों के किनारे Parking Areas विकसित करने का प्रस्ताव बनाया जाय।

4. जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे :-

- 4.1 दिनांक 24.01.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि नंदलाल छपरा मोहल्ला में NH 30 से जो नाला प्रवेश करता है, उस नाले के प्रवेश बिन्दु पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सामुदायिक भवन एवं कुछ दुकानें बनायी गयी हैं। इसके सटे ही मात्र 5 फीट चौड़ा जलप्रवाह क्षेत्र का नाला बनाया जा रहा है। जानकारी प्राप्त हुई कि नाला की भूमि जल संसाधन विभाग की है, जिस पर अतिक्रमण करके सामुदायिक भवन एवं दुकानें बनायी गयी है। स्पष्टतः इस प्रस्तावित संकीर्ण नाला से पटना में जलजमाव की अत्यंत भीषण समस्या उत्पन्न होगी।

जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से आग्रह किया गया कि अतिक्रमण को शीघ्र तोड़ने की कार्रवाई की जाय।

- 4.2 बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि जल संसाधन विभाग की 17 सम्पत्तियों पर अतिक्रमण है, जिसके कारण पटना शहर में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से आग्रह किया गया कि अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की कार्रवाई करें।

श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया गया कि दिनांक 19.02.2016 को मुख्य सचिव

की अध्यक्षता में निर्धारित PCRMC की बैठक के एजेंडा में उक्त दोनों बिन्दुओं को शामिल करेंगे।

5. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :-

5.1 ऊर्जा विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि कई महत्वपूर्ण पथों के डिवाइडर पर बिजली के तार और पोल लगे हुए हैं, जिसके कारण स्ट्रीट लाइटिंग नहीं लगाया जा रहा है। इस पर ऊर्जा विभाग द्वारा कार्रवाई की जाय।

ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डिवाइडर पर लगे बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट लगायी जा सकती है।

निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम/बुडको इस हेतु ऊर्जा विभाग से समन्वय कर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ के कार्यपालक पदाधिकारियों को भी समरूप कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

5.2 NBCC द्वारा अधिष्ठापित योगीपुर एवं पहाड़ी पम्पिंग स्टेशन का विद्युत विपत्र 5.00 करोड़ से अधिक राशि का प्राप्त हुआ है, जो बी०आर०जे०पी० द्वारा भुगतान हेतु विभाग को समर्पित किया गया है। यह स्पष्ट है कि जब इन पम्पों का संचालन हुआ ही नहीं था तो इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे किया जाय? इसे विद्युत वितरण कम्पनी देखें और आवश्यक सुधार करने की व्यवस्था करें।

6. बुडको से संबंधित मुद्दे :-

6.1 पटना शहर में अधिष्ठापित हो रहे 1000 एल०ई०डी० लाइट को दशहरे के पूर्व पूर्ण करना बुडको की जिम्मेदारी है। महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण होने की अवधि गुजर गयी है। यह निर्देश दिया गया कि एजेंसी पर समुचित दंड अधिरोपित किया जाय। यह उद्धृत किया गया कि

किये गये कार्य की जाँच करने के लिए, तटस्थ गुणवत्ता जाँच बुडको द्वारा करायी जाय।

निर्देश दिया गया कि इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 28.02.2016 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

- 6.2 गंगा नदी में पटना शहर से गिरने वाले सभी नाले के पानी का ट्रीटमेंट कराने के बाद ही नदी में मिले, इस हेतु आवश्यक संरचना बनाना बुडको की जिम्मेदारी है। यह अपेक्षा की गयी कि सभी नालों के पानी की ट्रीटमेंट हेतु प्रभावकारी कार्रवाई की जाय और अगली बैठक में कार्य योजना समर्पित की जाय।

यह खेदजनक है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रबंध निदेशक, बुडको इस पर अत्यधिक विशेष ध्यान दें।

- 6.3 सैदपुर नाले के सुदृढीकरण हेतु डी०पी०आर० बनाने का निर्देश पिछले 4 माह से दिया जा रहा है। जानकारी दी गयी कि डी०पी०आर० बनाने वाली एजेंसी का टेण्डर हुआ है। निर्देश दिया गया कि इसमें शीघ्रता बरती जाय।

निर्देश दिया गया कि Stake holder, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी एवं पथ निर्माण विभाग के अभियंता के साथ Feasibility के संबंध में बैठक की जाय और अगली बैठक में फलाफल से अवगत कराया जाय।

- 6.4 पटना जलापूर्ति योजना का Status Report नगर निगम को संसूचित करने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था। इसका अनुपालन नहीं हुआ है। इस सप्ताह इसका अनुपालन हो जाना चाहिए।

महाप्रबंधक (टेक्निकल), बुडको को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर इस योजना का Status Report संचिका में प्रधान सचिव को उपस्थापित करेंगे।

बुडको द्वारा 18 अधूरे ट्यूबवेल को पूर्ण कराया गया है। इसकी Revised मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु संलेख उपस्थापित की जाय।

शेष बचे कार्य हेतु बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा एजेंसी हायर करके, डी०पी०आर० बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाय।

6.5 पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी बड़े नालों पर सम्पूर्ण उपलब्ध जमीन की चौड़ाई में नालों का पक्कीकरण एवं उसके ऊपर यथासंभव पथ निर्माण के कार्य का डी०पी०आर० बनाने का निर्देश पिछली बैठकों में दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई प्रतिवेदित नहीं हुई है। बैठक में नगर निगम के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बॉकिरगंज, मंदिरी, कुर्जी, सर्पेन्टाईन रोड, मीठापुर से नंदलाल छपरा, सिटी मोट नाला आदि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी सूचना पटना नगर निगम द्वारा बुडको को दी जा चुकी है।

निर्देश दिया गया कि अगले सप्ताह तक सभी निविदाएं Final हो जानी चाहिए।

6.6 रामचक बैरिया में अपशिष्ट से ऊर्जा प्लांट का निर्माण कार्य बुडको द्वारा कराया जाना है। इसकी प्रगति असंतोषजनक है। एजेंसी के साथ प्रधान सचिव स्तर पर वार्ता हुई थी और सुधार करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश दिया गया कि बुडको इस हेतु कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो।

इस मामले में यह प्रतिवेदित किया गया कि एजेंसी ने JCB से कुछ समतलीकरण का कार्य किया है, किन्तु गंभीरता से परियोजना का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बुडको, जो इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्यान्वयन एजेंसी है, उन्हें बार-बार निर्देश दिया जा रहा है कि वे प्रभावी कार्रवाई करें। यदि संवेदक असफल हो रहा है तो निविदा के शर्तों के आलोक में उन्हें कड़ा दंड दिया जाय।

दिनांक 24.01.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रामचक बैरिया स्थित ठोस अपशिष्ट भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 642 दिनांक 27.01.2016 द्वारा नगर आयुक्त, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बुडको को कार्रवाई हेतु संसूचित किया गया है। अगली बैठक में इस पर की गयी कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

- 6.7 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपकरणों के क्रय के लिए राज्य सरकार द्वारा बुडको को State Procurement Agency नामित किया गया है। बुडको द्वारा अद्यतन तिथि तक जिन-जिन उपकरणों की दर और आपूर्तिकर्ता निर्धारित किया गया है, उसकी विवरणी अगली बैठक में लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ यह अपेक्षा की गयी कि उपकरणवार बुडको द्वारा निर्धारित की गयी दर की तुलना श्री प्रवीण प्रकाश, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के परिप्रेक्ष्य में DGS&D की दरों के साथ संसूचित किये गये हैं, उसके साथ तुलना करके, तुलनात्मक विवरणी दिया जाय। श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए विशेष तौर पर उत्तरदायी होंगे।

निर्देश दिया गया कि इसे प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु संचिका में उपस्थापित की जाय।

- 6.8 कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर द्वारा दानापुर जलापूर्ति परियोजना के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया, जिसमें बुडको द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
- 6.9 बुडको द्वारा आगामी प्रत्येक बैठकों में पटना में किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति को भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- 6.10 गाँधी मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार किये गये डी०पी०आर० को मेरे स्तर से आयुक्त, पटना प्रमंडल को प्रेषित कराया जाय।
- 6.11 मल्टीलेवल पार्किंग शीघ्र चालू हो, इस हेतु प्रबंध निदेशक (बुडको) सुनिश्चित करें। जानकारी दी गयी कि इस हेतु आवंटित राशि की कोषागार से निकासी

नहीं हो रही है, इस कारण कार्य बाधित है। इस पर सुझाव दिया गया कि बुडको अपने संसाधनों से व्यय वहन करें ताकि कार्य बाधित नहीं हो।

6.12 रेलवे स्टेशन के समीप स्टेशन से पार्किंग तक एलिवेटर लगाने की योजना की स्थिति अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

6.13 माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देश के आलोक में पटना में चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार, स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर इसके डी०पी०आर० का निर्माण कराया जाय।

7. बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे :-

7.1 इस वर्ष पटना शहर में जलजमाव नहीं हुआ। इसका कारण डिस्चार्ज क्षमता में बढ़ोत्तरी होना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पटना में जलजमाव नहीं हो, डिस्चार्ज क्षमता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस हेतु कार्य योजना बनायी जाय और उसका कार्यान्वयन किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अगले वर्ष की कार्य योजना में अशोक नगर, कंकड़बाग मिनी सम्प, मीठापुर करबिगहिया नाला निर्माण एवं सैदपुर ड्रेनेज का सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसका डी०पी०आर० बनाने का कार्य किया जा रहा है।

7.2 अशोक नगर जीरो प्वाइंट पर सम्प हाऊस की मंजूरी दी गयी है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि उसका डी०पी०आर०

बन गया है। निर्देश दिया गया कि सम्प हाऊस का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय ताकि क्षेत्र की समस्या का स्थायी निराकरण हो सके।

- 7.3 बेऊर से मीठापुर, करबिगहिया से मीठापुर एवं मीठापुर से नंदलाल छपरा के ड्रेनेज का प्रारूप डी०पी०आर० बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बना लिया गया है। अपेक्षा की गयी कि इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और इसकी सूचना पटना नगर निगम को दे दी जाय। AMRUT कार्य योजना में इस योजना को शामिल किया जाय। श्री मुमुक्षु कुमार चौधरी, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम इसके समावेशन के लिए विशेष तौर पर उत्तरदायी होंगे।

निर्देश दिया गया कि जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होकर ही डी०पी०आर० समर्पित किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि बेऊर से मीठापुर, करबिगहिया से मीठापुर एवं मीठापुर से नंदलाल छपरा के ड्रेनेज का डी०पी०आर० Wapcos द्वारा तैयार कराया गया है एवं इसे पटना नगर निगम को उपलब्ध कराया गया है।

- 7.4 गंगा नदी में गिरने वाले कृष्णा घाट एवं अंटा घाट नाले की I&D योजना कई वर्षों पूर्व बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बनायी गयी थी, लेकिन यह कार्यरत नहीं है। इस हेतु बिहार राज्य जल पर्षद, कार्य योजना बनाकर अवगत कराएंगे।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कृष्णा घाट एवं अंटा घाट नाले की I&D योजना GAPI में तैयार की गयी थी, जो अपनी आयु लगभग पूरा कर चुका है। इसका इंटरसेप्सन क्षमता आबादी के अनुरूप बहुत कम रहने के कारण इसकी मरम्मत किया जाना, तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके स्थान पर नाला के साथ उचित भूमि पर STP के निर्माण में औसतन 0.75 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस हेतु बुडको के द्वारा I&D का डी०पी०आर० भी तैयार कराया गया है।

7.5 बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि सभी AMRUT शहरों में जलापूर्ति से संबंधित डी०पी०आर० का ब्यौरा, संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिया जाय ताकि AMRUT कार्य योजना में समावेश हो सके। यह मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बिहार राज्य के 26 AMRUT शहरों में से 19 शहरों का डी०पी०आर० संबंधित नगर निकाय को उपलब्ध करायी जा रही है।

7.6 बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पटना शहर में 12 ट्यूबवेल की योजना मंजूर की गयी है। उसके लिए कार्यपालक पदाधिकारीगण 15 दिनों के अंदर स्थल उपलब्ध करायें। यह निर्देश दिया गया कि बिना स्थल की उपलब्धता के कोई टेण्डर नहीं किया जाय।

मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना शहर में 12 ट्यूबवेल के स्थान पर 9 ट्यूबवेल का स्थल उपलब्ध है। 9 अदद उपलब्ध स्थलों पर नलकूप निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी।

7.7 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य जल पर्षद प्रभावी कदम उठाए।

8. पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :-

8.1 पटना शहर में अधिकांशतः सार्वजनिक शौचालयों का उचित संधारण नहीं हो रहा है, जिसमें कई ऐसे शौचालय हैं, जिनका बंदोबस्ती नहीं है। कई ऐसे डिलक्स शौचालय हैं, जिनकी बंदोबस्ती की अवधि समाप्त हो गयी है। पटना नगर निगम, ऐसे शौचालयों के संधारण हेतु प्रस्ताव सुलभ इंटरनेशनल को समर्पित करें ताकि सुलभ इंटरनेशनल से संधारण कराया जा सके।

8.2 अन्य विभागों एवं एजेंसियों से संबंधित सभी बिन्दुओं पर यथोचित समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित किया जाय।

8.3 स्ट्रीट लाईट के नये अधिष्ठापन एवं पुराने स्ट्रीट लाईट की मरम्मती हेतु विशेष अभियान चलाया जाय।

8.4 EESL के साथ प्रस्तावित MOU को गति दी जाय।

8.5 जलजमाव की समस्या के स्थायी निराकरण के लिए विभिन्न अंचलों में जो संरचनात्मक कमियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, संयुक्त रूप से विवरण नगर आयुक्त को समर्पित करें। जैसे संरचनात्मक कार्य, जो जरूरी हो, उन्हें नगर निगम के पास उपलब्ध संसाधनों से तत्काल स्वीकृत किया जाय।

निर्णय लिया गया कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन दें।

8.6 रामचक बैरिया में ठोस अपशिष्ट का परिवहन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पहुँच पथ की स्थिति खराब है। कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हैं। प्रतीत हो रहा है कि वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निर्देश दिया गया कि इसमें एक सप्ताह के अंदर सुधार किया जाय।

दिनांक 24.01.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रामचक बैरिया स्थित ठोस अपशिष्ट भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 642 दिनांक 27.01.2016 द्वारा नगर आयुक्त, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बुडको को कार्रवाई हेतु संसूचित किया गया है। अगली बैठक में इस पर की गयी कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।

8.7 शहर की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल सुधार आना चाहिए। कंकड़बाग एवं पटना सिटी अंचल में भी रात्रि में सफाई कार्य प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी गयी है। तदनुसार रात्रि में सफाई कार्य प्रारंभ होना चाहिए।

8.8 अंचलवार निम्नवत पथों में उत्कृष्ट कोटि की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय :-


“बेली रोड, दारोगा राय पथ, अशोक राजपथ, शेरशाह पथ, पुराना वाईपास पथ, ककडबाग मुख्य पथ, बड़ी पथ, एन०एच० 98, दीघा से दानापुर एवं दानापुर से सगुना मोड़ होते हुए पटना नगर निगम की सीमा तक।”

8.9 Equipment की अतिरिक्त आपूर्ति :-


- (i) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी नगर निकायों में व्यापक पैमाने पर क्रय किये जा रहे इन उपकरणों के रखरखाव हेतु व्यवस्था किया जाय। आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर चालक एवं मैकेनिक रखी जाय।
- (ii) SPUR के अंतर्गत कुछ राशि उपलब्ध है, जिससे अतिरिक्त Equipment खरीदे जा सकते हैं। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर/फुलवारी शरीफ को कहा गया कि वे एक सप्ताह के अंदर कार्य योजना की सूची दे दें ताकि उसके आधार पर अतिरिक्त Equipment खरीदे जा सकें।

9. पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर एक-एक कर बताया गया कि संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। उन्हें पटना शहर की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल सुधार करना है। तदनुसार वे मेहनत करें।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(अमृत लाल मिश्रा),
प्रधान सचिव


ज्ञापांक 976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/2/16
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव


ज्ञापांक 976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/2/16
 प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


 11/2/16
 प्रधान सचिव

ज्ञापांक 976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/2/16
 प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/खगौल/फुलवारी शरीफ/नूतन राजधानी अंचल/बौकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 11/2/16
 प्रधान सचिव

ज्ञापांक 976 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 15/2/16
 प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/श्री उपेन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 11/2/16
 प्रधान सचिव

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data.

3. The next section details the results of the study and the conclusions drawn from the data.

4. Finally, the document provides a summary of the findings and offers suggestions for future research.

5. The author concludes by expressing their appreciation for the support and assistance provided throughout the project.

6. This document is intended to provide a comprehensive overview of the research and its findings.

7. It is hoped that this work will contribute to the understanding of the subject matter and provide a basis for further investigation.

8. The author would like to thank the following individuals for their assistance and support:

9. Dr. John Doe, Department of Economics, University of California, Berkeley.

10. Mr. James Smith, Department of Statistics, University of Michigan.

11. Ms. Sarah Johnson, Department of Mathematics, University of Texas at Austin.

12. The author would also like to thank the following organizations for their support:

13. National Science Foundation, Grant No. 1234567.

14. Social Science Research Council, Grant No. 7654321.

15. The author would like to express their appreciation to the following individuals for their assistance and support:

28